

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत २५/१२/२३ कलेक्टर (SDO) मुकाम वायव्य

चिन्मारास बनाम कुशाशम वर्तिका

किस्म मुकदमा 111, 128 RLR act नं 305 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.12.24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री नरपत पुजड.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR act.</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.1.22 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायव्य</p>
10/01/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी/गो के नोटिस तामिल किम तामिल प्रजापत/इन्तजा टोट पत्रावली दिनांक 06/04/2022 को पेश हो।</p>	
06/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी/गो के नोटिस तामिल श्रुता प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली विप्रा गप्रा। विप्राथी/गो का बनुड तामिल कनु उपस्थित। सामालम समम तीन बार आवाज लगाई गई किन्तु आवाज 5-45 PM पर लगाई गई विप्राथी/गो स्वयं सा उन्हा कोर ले कोई मदिबरता उपस्थित नही दुफा लिहाजा विप्राथी/गो के विरुद्ध रडरमा कार्यवाही किमल में लई जाली है किमल वास्ते कटल पत्रावली दिनांक-05/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायव्य</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

05/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय
क. वार/2022/619
प्रार्थी
दिनांक
जाति

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 619
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 05/05/2022
विप्रार्थीगण

1. चिमाराम पुत्र सोनाराम,
जाति जाट, निवासी अणदोणी जाखड़ों
की ढाणी, पटवार मण्डल गिड़ा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. कुम्भाराम पुत्र दीपाराम वगैरा 18,
जाति जाट, निवासी बैरडपुरा,
पटवार मण्डल खोखसर पश्चिम,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 385 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - अणदोणी जाखड़ों की ढाणी, पटवार मण्डल - जाखड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 381/94, 386/94, 388/204 रकबा क्रमशः 3.1970, 0.6475, 0.3237 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी को पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 620-624

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चिमाराम पुत्र सोनाराम,
4. विप्रार्थी श्री कुम्भाराम पुत्र दीपाराम वगैरा 18,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 05/05/2022

(SDO) बायतु